संख्या 957/2006–129–अ0ग्रा0वि0वि0/05

प्रेषक,

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग | लखनऊः दिनांकः 23 नवम्बर, 2006

विषयः– समग्र ग्राम्य विकास योजना का मासिक प्रगति विवरण वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 139/अ0ग्रा0वि0वि0/06 दिनांक 4 मई 2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत चयनित समग्र विकास ग्रामों के मासिक प्रगति विवरण विभाग द्वारा दिये गये प्रारूप में सी0डी0 के माध्यम से प्रत्येक माह की 8 तारीख तक इस विभाग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग द्वारा समग्र ग्राम्य विकास योजना का सभी जनपदों से मासिक प्रगति विवरण के प्रेषण हेतु वेब आधारित मानिटरिंग प्रणाली विकसित कर दी गयी है जिसको विभागीय वेबसाईट http:\\agvv.up.nic.in पर अपलोड किया गया है। इसके संचालन हेतु विभाग द्वारा दिशा निर्देश संलग्न हैं। दिशा–निर्देश एवं कार्यविधि के अनुरूप अब सभी जनपदों से मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूपों पर वेब आधारित मानिटरिंग प्रणाली के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाय। इस सन्दर्भ में मासिक प्रगति विवरण भेजने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

1 जनपदों द्वारा अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग की वेबसाईट http:\\agvv.up.nic.in में दिये गये निर्देशों एवं कार्यविधि के अनुसार लॉग इन कर, वेब आधारित प्रणाली में प्रारूप 'A' एवं प्रारूप 'B' पर यह सूचना प्रत्येक माह की आठवीं तारीख, सायं 5 बजे तक फीड कराना सुनिश्चित किया जाय। यदि यह तिथि अवकाश की हो तो यह सूचना निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व ही फीड करा दी जाय।

2 प्रारूप 'B' पर 15 कार्यक्रमों से संतृप्त ग्रामों की संख्या के साथ ग्रामों की नामवार सूचना भी उपलब्ध करायी जाय।

3 इस प्रणाली में एक नया प्रारूप 'C' भी सम्मिलित किया गया है जिसमें ग्रामवार सूचना के डाटा की प्रविष्टि की जाय। इससे ब्लाक स्तर व जनपद स्तर की सूचना स्वतः ही प्रणाली द्वारा तैयार हो जायेगी। यह सूचना Citizen Interface के माध्यम से जनसाधारण के उपयोगार्थ उपलब्ध हो सकेगी।

..............क्रमशः.....2......

4 वेब आधारित प्रणाली प्रत्येक माह की पहली तारीख से आठवीं तारीख के सायं 5 बजे तक डाटा प्रविष्टि हेतु खुली रहेगी। तत्पश्चात शासन स्तर पर लॉक कर दी जायेगी एवं सूचना न भेजने वाले जनपदों की सूचना शून्य मान ली जायेगी।

5 इस हेतु मण्डलों से संबंधित सक्षम अधिकारी/कम्प्यूटर पर कार्य करने वाले कर्मी को इस प्रणाली में कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दिनांक 27–11–06, प्रातः 11.00 बजे अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग में बैठक आहूत की गयी है। कृपया अपने मण्डलों के संबंधित अधिकारियों/कर्मियों को उक्त बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित करें।

उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

संलग्नकः– यथोक्त

भवदीय,

/

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 957 अ0ग्रा0वि0वि0/129/05

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
2 प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन ।
3 प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/पंचायती राज/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/बेसिक शिक्षा/समाज कल्याण/महिला कल्याण/परिवार कल्याण/विकलांग कल्याण एवम् राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4 समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
5 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6 श्री एस0बी0 सिंह, वरिष्ठ सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
7 श्री आशीष अग्रवाल, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
8 श्री संजय अग्रवाल, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से

(विजय कुमार त्रिपाठी)
विशेष सचिव